ग्राम पंचायत कुशमल भगोटला, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कुशमल भगोटला, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सतीश कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री त्रिलोक कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राकेश शर्मा	01/04/2022 से 31/07/2023
2.	श्री पवन कुमार	01/08/2023 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री तिलक राज	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत कुशमल भगोटला के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	**0.06**
2.	4.3	ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में अंतर पाया जाना	**3.53**
3.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**9.68**
4.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.01**
5.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप राजस्व की संभावित वित्तीय हानि होना	**0.27**
6.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना	**2.13**

		ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	
7.	9	निर्माण कार्यों से संबंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना	**5.40**
8.	10	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना पाया जाना	**0.03**

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कुशमल भगोटला, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04.06.2024 से 10.06.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	02/2023	05/2022
2023-24	02/2024	07/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को

प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 06/2024/कुशमल भगोटला दिनांक 10.06.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 10.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया की नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 15/2024 दिनांक 04.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	519623.52	288127.00	807750.52	308127.00	499623.52
2023-24	499623.52	464314.00	963937.52	477813.00	486124.52

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1155548.16	2871747.46	4027295.62	2806597.29	1220698.33
2023-24	1220698.33	2113895.64	3334593.97	2366562.19	968031.78

कुल योग (1+2) = 486124.52 + 968031.78 = **1454156.30**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹14,54,156.30** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹14,48,542.99** से सम्बन्धित विवरणी **(परिशिष्ट – "ग")** निम्नानुसार है: -

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि (SF)	KCCB पालमपुर	20141007541	56313.00
2	सभा निधि (SF)/ 5 वां राज्य वित्त (5TH STATE)	Canara बैंक बगौड़ा	4609101001462	440421.52
3	सांसद निधि (MPLAD)	Canara बैंक बगौड़ा	4609101001120	7952.67
4	सांसद निधि (MPLAD)	हि.प्र.ग्र. बैंक चचियाँ	87710100102625	1023.28
5	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	Canara बैंक बगौड़ा	4609101001121	1817.27
6	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	हि.प्र.ग्र. बैंक चचियाँ	87710100102616	1301.00
7	राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)	Canara बैंक बगौड़ा	4609101001122	5215.69
8	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	हि.प्र.ग्र. बैंक चचियाँ	87710100101316	128466.10
9	अटल आवास योजना (AAY)	हि.प्र.ग्र. बैंक चचियाँ	87710100102573	8559.00
10	पंचायत समिति (PS)	हि.प्र.ग्र. बैंक चचियाँ	87710100102643	33840.00
11	जिला परिषद (ZP)	हि.प्र.ग्र. बैंक चचियाँ	87710100102607	72625.28
12	14 वां वित्त आयोग (14TH FC)	Canara बैंक बगौड़ा	4609101001125	815.50
13	15 वां वित्त आयोग (15TH FC)	Canara बैंक बगौड़ा	4609101002733	689750.68
	हस्तगत शेष (स्व स्त्रोत)			442.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024का कुल योग :			1448542.99
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा4(क) अन्तशेष :-			**₹14,54,156.30**
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024का अन्तशेष:-			**₹14,48,542.99**
	अंतर :-			**₹5,613.31**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.06 लाख का अन्तर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उक्त पैरा 4 के अनुसार **₹5,613.31** की राशि का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कुशमल भगोटला दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 10.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे अन्तर के कारणों सहित तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोल जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण के लिये खाता-ख खोल जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है बल्कि स्व-स्त्रोत में 5वां राज्य वित्त आयोग अनुदान से प्राप्त राशि का आय व्यय सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अनुदान शीर्ष एस०डी०पी० एवं एम०पी०लेड० का एक से अधिक खाता खोला गया था जिससे स्पष्ट है की पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कुशमल भगोटला दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 10.06.2024 द्वारा उत्तर दिया गया की भविष्य में नियमानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक कर लिया जाएगा और स्कीमवार अलग अलग बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व खाता "क" व "ख" को पृथक करना सुनिश्चित किया जाए और अनुदान शीर्ष एस०डी०पी० एवं एम०पी०लेड० के बैंक खातों का संचालन नियमानुसार किया जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में ₹3.53 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत E-Panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा ई-ग्राम स्वराज (Online)दोनों माध्यम से किया जा रहा था तथा जो लेखे ई-ग्राम स्वराज में बनाये जा रहें है, बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही से मिलान नहीं खाते। परिणामस्वरूप **₹3,52,959.53** का बहुत ज्यादा अंतर पाया गया, जो लेखाकंन प्रक्रिया में त्रुटियों के चलते

वित्तीय अनियमितताओं की ओर संकेत करता है, जिसका विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न एवं निम्नलिखित है:-

(क) ई ग्राम स्वराज में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति/व्यय में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

		प्राप्ति			भुगतान		
क्र०सं०	**वित्तीय वर्ष**	**ई-ग्राम स्वराज अनुसार**	**रोकड़ बही अनुसार**	**अंतर**	**ई-ग्राम स्वराज अनुसार**	**रोकड़ बही अनुसार**	**अंतर**
1	2022-23	1733597.00	1759415.00	25818.00	1677806.83	1714264.83	36458.00
2	2023-24	1280015.00	1270628.00	9380.00	1544895.55	1536793.55	8102.00

(ख) ई ग्राम स्वराज में दर्शाये गए बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष व हस्तगत नगद शेष में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	बैंक पास बुक अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	अंतर
1	2023-24	1801489.52 + 13 (हस्तगत नगद) = 1801502.52	1448100.99 + 442 (हस्तगत नगद) = 1448542.99	**₹ 3,52,959.53**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कुशमल भगोटला दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 10.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण ई ग्राम स्वराज पर कर लिया जाएगा व अंतर का मिलान करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप -11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व-स्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कुशमल भगोटला दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 10.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹9.68 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 15/2024 दिनांक 04.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 9,68,031.78** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कुशमल भगोटला दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 10.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.01 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/कुशमल भगोटला दिनांक 06.06.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 16 दिनांक 06.06.2024 द्वारा

उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 296 तथा 2023-24 में 301 परिवारों का ₹100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹1,200.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका।

वसूली हेतु शेष संपत्ति कर / गृहकर राशि का विवरण :-

अवधि	**अथशेष**	**कुल परिवार**	**गृहकर वार्षिक दर**	**मांग**	**योग (कालम 2+5)**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि (कालम 6-7)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
2022-23	₹ 0.00	296	100/-	₹ 29,600.00	₹ 29,600.00	₹ 29,600.00	₹ 0.00
2023-24	₹ 0.00	301	100/-	₹ 30,100.00	₹ 30,100.00	₹ 28,900.00	₹ 1,200.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कुशमल भगोटला दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 10.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर रजिस्टर का संधारण कर लिया जाएगा व गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर करते हुये अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.27 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व

माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 05/2022 व 07/2023 में रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट - "च"** पर संलग्न विवरणानुसार **₹26,832.00** का संभावित अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कुशमल भगोटला दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 10.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही नियमानुसार आपूर्तिकर्ता से वसूली कर ली जाएगी।

अतः राशि **₹ 26,832.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹2.13 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4),67(5),69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की

औपचारिकताओं तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

चयनित माह 05/2022 व 07/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹ 2,13,427.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कुशमल भगोटला दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 10.06.2024 द्वारा बताया गया की समय के अभाव तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण उस समय निविदायें नहीं ली जा सकी व अब नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः दृष्टांत मामलों में नियमों कि उल्लंघना एवं बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाने की इस अनियमितता को तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 बिल / वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 05/2022 के सभी बिल/वाउचर व 07/2023 में केवल मनरेगा के बिल/वाउचर के भुगतान हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है:-

क्र ° स °	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2022-23	05/2022	**4,36,824.82**
2.	2023-24	07/2023	**72,127.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कुशमल भगोटला दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 10.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस त्रुटि को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

9 राशि ₹5.40 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि में करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/मजदूरी के व्यय, खपत, आदि सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुदान शीर्ष	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि
1	निर्माण पक्का रास्ता श्री संतोष सिंह के घर से श्री	SDP	2021-22	50,000.00

	सुभाष चंद के घर तक			
2	मुरम्मत जीप रास्ता श्री विनोद और श्री रमेश के घर की ओर वार्ड नं 3	SDRF	2021-22	1,00,000.00
3	पुनर्निर्माण सुरक्षा दीवार श्रीमती माया देवी वार्ड नं 4	SDRF	2021-22	50,000.00
4	पुनर्निर्माण सुरक्षा दीवार कूहल नजदीक मुरली राम के घर वार्ड नं 5	SDRF	2021-22	40,000.00
5	निर्माण पंचायत सामुदायिक भवन जंजघर के ऊपर वार्ड नं 3	MPLAD	2021-22	3,00,000.00
			कुल योग	**5,40,000.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024 दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने को कहा गया था, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 22 दिनांक 10.06.2024 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण पत्र विकास खंड कार्यालय में निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत जमा करवा दिये जाते है व उक्त सभी अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अत: उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) कि अनुपालना सुनिश्चित करें।

10. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे : -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई कुल राशि **₹ 2525.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/कुशमल भगोटला दिनांक 06.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18 दिनांक 06.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. विविध अनियमितताएं :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में स सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गई थीं परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

12. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था। नियमानुसार लेखांकन प्रक्रिया के अभाव में हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 (1) कि अनुपालना संभव नहीं है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	फॉर्म संख्या
1.	विनिधानों के लिए रजिस्टर	12	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15 (1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	30	09
5.	तकनीकी जांच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	95(1)	31
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21
8.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	-------

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/कुशमल भगोटला दिनांक 06.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 06.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत

करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कुशमल भगोटला दिनांक 10.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 10.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

15. **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

03 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

का०/प्रति०

4402— 4406

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)417/2024—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्या कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. (पंजीकृत) सचिव, ग्राम पंचायत कुशमल भगोटला, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

03 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

का०/प्रति०

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP KUSHMAL BHAGOTLA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	519623.52	288127.00	807750.52	308127.00	499623.52
2023-24	499623.52	464314.00	963937.52	477813.00	486124.52

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1155548.16	2871747.46	4027295.62	2806597.29	1220698.33
2023-24	1220698.33	2113895.64	3334593.97	2366562.19	968031.78

(Signature)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कुशमल भगोटला
तह० ..., जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " ५(क) " के संदर्भ में)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP KUSHMAL BHAGOTLA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	MPLAD	2022-23	2442.28	151407.00	153849.28	123228.28	30621.00
		2023-24	30621.00	151244.00	181865.00	176545.28	5319.72
2	SDP	2022-23	11831.00	234439.00	246270.00	224663.55	21606.45
		2023-24	21606.45	74171.00	95777.45	66262.95	29514.50
3	SDRF	2022-23	102939.00	147089.00	250028.00	244791.00	5237.00
		2023-24	5237.00	99253.00	104490.00	99187.00	5303.00
4	VKVNY	2022-23	156401.10	28609.00	185010.10	75000.00	110010.10
		2023-24	110010.10	157706.00	267716.10	139250.00	128466.10
5	AAY	2022-23	8100.00	227.00	8327.00	0.00	8327.00
		2023-24	8327.00	232.00	8559.00	0.00	8559.00
6	PS	2022-23	32023.00	900.00	32923.00	0.00	32923.00
		2023-24	32923.00	917.00	33840.00	0.00	33840.00
7	ZP	2022-23	68726.28	1930.00	70656.28	0.00	70656.28
		2023-24	70656.28	1969.00	72625.28	0.00	72625.28
8	14TH FC	2022-23	768.50	23.00	791.50	0.00	791.50
		2023-24	791.50	24.00	815.50	0.00	815.50
9	15TH FC	2022-23	772317.00	906664.00	1678981.00	738455.00	940526.00
		2023-24	940526.00	320798.00	1261324.00	577735.32	683588.68
10	MGNREGA	2022-23	0.00	1400459.46	1400459.46	1400459.46	0.00
		2023-24	0.00	1307581.64	1307581.64	1307581.64	0.00

(परिशिष्ट " ग " पैरा संख्या " 4(ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत कुशमल भगोटला, वि०ख० भवारना, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176059

ग्राम पंचायत कुशमल भगोटला के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	कुल बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (SF)	KCCB पालमपुर	20141007541	56313.00	496734.52	486124.52
	सभा निधि (SF)/ 5 वां राज्य वित्त (5TH STATE)	Canara बैंक बगौड़ा	4609101001462	440421.52		
2	सांसद निधि (MPLAD)	Canara बैंक बगौड़ा	4609101001120	7952.67	8975.95	5319.72
	सांसद निधि (MPLAD)	हि.प्र.ग्र. बैंक चचियाँ	87710100102625	1023.28		
3	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	Canara बैंक बगौड़ा	4609101001121	1817.27	3118.27	29514.50
	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	हि.प्र.ग्र. बैंक चचियाँ	87710100102616	1301.00		
4	राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)	Canara बैंक बगौड़ा	4609101001122	5215.69	5215.69	5303.00
5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	हि.प्र.ग्र. बैंक चचियाँ	87710100101316	128466.10	128466.10	128466.10
6	अटल आवास योजना (AAY)	हि.प्र.ग्र. बैंक चचियाँ	87710100102573	8559.00	8559.00	8559.00
7	पंचायत समिति (PS)	हि.प्र.ग्र. बैंक चचियाँ	87710100102643	33840.00	33840.00	33840.00
8	जिला परिषद (ZP)	हि.प्र.ग्र. बैंक चचियाँ	87710100102607	72625.28	72625.28	72625.28
9	14 वां वित्त आयोग (14TH FC)	Canara बैंक बगौड़ा	4609101001125	815.50	815.50	815.50
10	15 वां वित्त आयोग (15TH FC)	Canara बैंक बगौड़ा	4609101002733	689750.68	689750.68	683588.68
			जोड़ (क)	1448100.99	1448100.99	1454156.30
			हस्तगत शेष (ख)	442.00	442.00	0.00
			कुल जोड़ (क + ख)	1448542.99	1448542.99	1454156.30

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	1454156.30
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	1448542.99
अंतर :-	5613.31

(परिशिष्ट " ट्प ", पैरा संख्या " 4.3 " के संदर्भ में)

ई-ग्राम स्वराज में रोकड़ बही का अनियमित अद्यतन के कारण ई-ग्राम स्वराज में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹3.53 लाख का अंतर

(क) चयनित माह के दौरान ई ग्राम स्वराज में दर्ज मासिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार मासिक प्राप्ति/व्यय में अंतर (Except MNREGA)

		प्राप्ति			भुगतान		
क्र०सं०	चयनित माह	ई-ग्राम स्वराज अनुसार	हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार	अंतर	ई-ग्राम स्वराज अनुसार	हस्तलिखित रोकड़ बही	अंतर
1	मई 2022	₹ 57,809.00	₹ 98,314.00	₹ 40,505.00	₹ 1,09,266.00	₹ 1,09,836.00	₹ 570.00
2	फरवरी 2023	₹ 27,420.00	₹ 27,626.00	₹ 206.00	₹ 1,09,741.60	₹ 1,09,741.60	₹ 0.00
3	जुलाई 2023	₹ 2,37,350.00	₹ 2,37,350.00	₹ 0.00	₹ 3,73,958.09	₹ 3,84,458.09	₹ 10,500.00
4	फरवरी 2024	₹ 1,02,376.00	₹ 99,982.00	₹ 2,394.00	₹ 1,08,619.28	₹ 1,08,619.28	₹ 0.00

(ख) ई ग्राम स्वराज में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति/व्यय में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

		प्राप्ति			भुगतान		
क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार	रोकड़ बही अनुसार	अंतर	ई-ग्राम स्वराज अनुसार	रोकड़ बही अनुसार	अंतर
1	2022-23	₹ 17,33,597.00	₹ 17,59,415.00	₹ 25,818.00	₹ 16,77,806.83	₹ 17,14,264.83	₹ 36,458.00
2	2023-24	₹ 12,80,015.00	₹ 12,70,628.00	₹ 9,380.00	₹ 15,44,895.55	₹ 15,36,793.55	₹ 8,102.00

(ग) ई ग्राम स्वराज में दर्शाये गए बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष व हस्तगत नगद शेष में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	बैंक पास बुक अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	अंतर
1	2023-24	1801489.52 + 13 (हस्तगत नगद) = 1801502.52	1448100.99 + 442 (हस्तगत नगद) = 1448542.99	**₹ 3,52,959.53**

[signature]
पंचायत सचिव
ग्राम ...
तै० ... (हि०प्र०)

(परिशिष्ट " ड़ " पैरा संख्या " 7 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत कुशमल भगोटला, वि०ख०भवारना, ज़िला काँगड़ा हि. प्र. 176059

दिनांक 31-03-2024को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 296 तथा 2023-24 में 301 परिवारों का ₹100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 0.00	296	100/-	₹ 29,600.00	₹ 29,600.00	₹ 29,600.00	₹ 0.00
2023-24	₹ 0.00	301	100/-	₹ 30,100.00	₹ 28,900.00	₹ 28,900.00	₹ 1,200.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि ₹1200/- है।						

(तिलोक कुमार)
पंचायत सचिव

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.1 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत कुशमल भगोटला द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹0.27 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि का विवरण

	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)									
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	Qty (cft)	Qty (Cum)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
1	अर्जुन कुमार	08/31.05.2022	254/01.03.2022	रेत	85	2.407	1.62	3.90	80	312.00
				क्रशर	175	4.956	1.52	7.53	80	602.40
				क्रशर 63/90 mm	130	3.682	1.52	5.60	80	448.00
	राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)									
2	अर्जुन कुमार	13/19.05.2022	282/23.02.2022	क्रशर	430	12.178	1.52	18.51	80	1480.80
				रेत	220	6.231	1.62	10.09	80	807.20
				गटका (पत्थर)	600	16.992	2.24	38.06	80	3044.80
	मनरेगा									
3	अर्जुन चंद	Nil/21.05.2022	217/04.04.22	रेत	270	7.647	1.62	12.39	80	991.20
4	अर्जुन चंद	Nil/21.05.2022	218/04.04.22	क्रेशर	520	14.727	1.52	22.38	80	1790.40
5	अर्जुन चंद	Nil/21.05.2022	219/04.04.22	गटका (पत्थर)	170	4.815	2.24	10.78	80	862.40
6	अर्जुन चंद	Nil/21.05.2022	193/19.12.21	रेत	600	16.992	1.62	27.53	80	2202.40
7	अर्जुन चंद	Nil/21.05.2022	194/19.12.21	क्रेशर	700	19.824	1.52	30.13	80	2410.40
8	अर्जुन चंद	Nil/21.05.2022	180/09.12.21	रेत	340	9.629	1.62	15.60	80	1248.00
9	अर्जुन चंद	Nil/21.05.2022	181/09.12.21	क्रेशर	680	19.258	1.52	29.27	80	2341.60
10	अर्जुन चंद	Nil/21.05.2022	182/09.12.21	रेत	200	5.664	1.62	9.18	80	734.40
11	अर्जुन चंद	Nil/21.05.2022	183/09.12.21	क्रेशर	400	11.328	1.52	17.22	80	1377.60
12	अर्जुन चंद	Nil/21.05.2022	184/09.12.21	गटका (पत्थर)	160	4.531	2.24	10.15	80	812.00
									Total	21465.60
									Panelity @ 25 %	5366.40
									कुल राशी	26832.00

Tilak Raj
GRS
G.P. Bhagotla
Dev. Block Bhawarna
Distt. Kangra (H.P.)

पंचायत सहायक
ग्राम पंचायत भगोटला
तहसील पालमपुर

(राजेश कुमार)
पंचायत ...
ग्राम ...
तैं० ... (हि०प्र०)

परिशिष्ट " द ", पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कुशमल भगोटला द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना राशी ₹2.13 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी	टिप्पणी
	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)							
1	अर्जुन कुमार	08/31.05.2022	254/01.03.22	रेत	85	45	₹ 3,825.00	एक ही अखबार में विज्ञापन दिया गया है
				क्रशर	175	40	₹ 7,000.00	
				क्रशर 63/90 mm	130	30	₹ 3,900.00	
				शटरिंग	37	12	₹ 444.00	
2	अर्जुन कुमार	09/31.05.2022	255/20.01.22	सीमेंट कैरिज	33	35	₹ 1,155.00	
3	विजय कुमार	10/05.05.2022	1025/24.03.22	पेंटिंग बोर्ड	1	800	₹ 800.00	
4	इंद्रु नाग हार्डवेयर स्टोर	21/05.07.2023	0565/INHS/23-24/22.06.2023	HR Sheet	41.7	76.27	₹ 3,176.65	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
				AP Trucare Metal Primer Redoxide	1	661.02	₹ 661.02	
				Industrial Reducer 4LT Jar	2	135.59	₹ 271.18	
				AP APCO GLS ENML P.O. RED 1LT	1	364.4	₹ 364.40	
	राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)							
4	अर्जुन कुमार	13/19.05.2022	282/23.02.22	क्रशर	430	40	₹ 17,200.00	एक ही अखबार में विज्ञापन दिया गया है
				रेत	220	45	₹ 9,900.00	
				शटरिंग	150	12	₹ 1,800.00	
				गटका	600	36	₹ 21,600.00	
5	अर्जुन कुमार	14/19.05.2022	281/22.02.22	सीमेंट कैरिज	60	35	₹ 2,100.00	
6	विजय कुमार	15/19.05.2022	1022/10.04.22	पेंटिंग बोर्ड	1	800	₹ 800.00	
	सांसद क्षेत्र विकास निधि (MPLAD)							
7	सुमन इंटेरप्राइज़ेस	18/05.07.2023	126/18.06.23	GI Sheet 0.5mmX1067mmX12'	366	102.54	₹ 37,478.37	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
8	सुमन इंटेरप्राइज़ेस	19/05.07.2023	127/18.06.23	Ridge JSW 0.55mmX10'X2'	54	102.54	₹ 5,537.16	
9	इंद्रु नाग हार्डवेयर स्टोर	20/05.07.2023	0569/INHS/23-24/22.06.2023	Acc 4mm	14	228.81	₹ 3,203.34	
				Self Drilling Screw 12X35 Zinc	250	3.42	₹ 855.00	
				Self Drilling Screw 68mm	136	4.24	₹ 576.64	
	मनरेगा							
10	अर्जुन चंद	Nil/21.05.2022	217/04.02.22	रेत	270	45	₹ 12,150.00	एक ही अखबार में विज्ञापन दिया गया है
11	अर्जुन चंद	Nil/21.05.2022	218/04.02.22	क्रेशर	520	40	₹ 20,800.00	
12	अर्जुन चंद	Nil/21.05.2022	219/04.02.22	गटका (पत्थर)	170	30	₹ 5,100.00	
13	अर्जुन चंद	Nil/21.05.2022	220/04.02.22	सीमेंट कैरिज	78	35	₹ 2,730.00	
	15 वां वित आयोग							
14	एम.आर. इंटरप्राइजस	11/05.07.23	534/16.03.23	पानी का कूलर 40 लीटर	1	50000	₹ 50,000.00	एक ही निविदा प्रस्तुत की गई
						कुल राशि	₹ 2,13,427.76	

(त्रिलोक कुमार)
पंचायत ...
ग्राम पं... ...टला
तै० ...